न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–50/2024

1. प्रेम सिंह पुत्र मिठु सिंह	जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) साकिन हाल
2. मिठु सिंह पुत्र मुकंद सिंह	वार्ड नं. 19 श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराज सिंह भारी –वादीगण
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा –प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/10/2024

वाद पत्र वादीगण की ओर प्रतिवादी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। यह कि वादीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एसटीजी के मु. खाता सं. 79/74 के प.नं. 53/315 (35) किला नं. 5/1, 5/2 की 0.253 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में वादीगण का 1/8 1/8 हिस्सा व इसी चक 23 एसटीजी के मु. खाता सं. 38/31 के प.नं. 53/315 (35) किला नं. 14 ता 19 की 1.518 हैक्. नाली द्वितीय खातेदारी में वादीगण का 1/2 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि वादी सं. 2 के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील गंगानगर के चक 10 जेड के खाता सं. 53/43 के प.नं. 0 मु.नं. 34 किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 की 2.466 हैक्. नहरी खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 का नाम प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व वादी सं. 2 का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह दर्ज है व वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी सं.2 का नाम मिठु सिंह पुत्र मुकंद सिंह सही दर्ज है। जबकि वादीगण के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, वोटरलिस्ट आदि में वादी सं.1 का नाम प्रेम सिंह पुत्र मिठु सिंह व वादी सं. 2 का नाम मिठु सिंह पुत्र मुकंद सिंह दर्ज है जो कि सही है। चित्रप्रति आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर लिस्ट इत्यादि सलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 का नाम प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व वादी सं.2 का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है व वादीगण को अपनी कृषि भूमि पर केसीसी ऋण लेने, बिजली [illegible] काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी सं.1 अपना नाम प्रेम [illegible] महेन्द्र सिंह के स्थान पर प्रेम सिंह पुत्र मिठु सिंह व वादी सं. 2 [illegible] के स्थान पर मिठु सिंह पुत्र मुकंद सिंह दर्ज करवाने की [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी से कई दफा कहा [illegible] वह वादीगण के नाम [illegible] भूमि में वादी सं.1 का नाम प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर प्रेम सिंह पुत्र मिठु सिंह व वादी सं.2 का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के स्थान पर मिठु सिंह पुत्र मुकंद सिंह दर्ज कर देवे तो प्रतिवादी कुछ दिन तो टाल मटौल करता रहा परन्तु आज से करीब 3 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गया बस यही वाद कारण है। यह कि प्रतिवादी के खिलाफ वादीगण को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हासिल नही है परन्तु वह भू धारक है इसलिये उसे वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

सहायक कलक्टर एवं [illegible]

यह कि वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे –

कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में

वादी सं. 1 का नाम प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर प्रेम सिंह पुत्र मिठु सिंह व

वादी सं.2 का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के स्थान पर मिठु सिंह पुत्र मुकंद सिंह दर्ज किया जावे।

कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

कि अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पलीबंगा को वास्ते रिपोर्ट पत्र जारी किया गया प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक 641 दिनांक 27.08.24 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 23 एस.टी.जी. के खाता संख्या सं. 38/31 में प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह हि0 1/2 व महेन्द्र पुत्र मुकन्द हि० 1/2 जाति तरखान साकिन 10 जैड खातेदार रहन आरएमजीबी दुलमाना के नाम प0नं0 53/315(35) कि.नं. 14 ता 19 कुल 1.518 हैक्ट. नाली–प्प दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी है। चक 23 एस.टी.जी. के खाता संख्या 79/74 में महेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह हि0 1/8 जाति रामगढ़िया साकिन 26 एस.टी.जी. खातेदार के नाम प0नं0 53/315 (35) कि.नं. 5/1 व 5/2 में कुल 0.253 हैक्ट. नाली । मय गै०मु० रास्ता दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी है और महेन्द्र का नाम मिठूसिंह किया जाना उचित है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादी की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व शपथ पत्र एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 23 एस.टी.जी. के खाता संख्या सं. 38/31 में प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह हि0 1/2 व महेन्द्र पुत्र मुकन्द हि० 1/2 जाति तरखान साकिन 10 जैड खातेदार रहन आरएमजीबी दुलमाना चक 23 एस.टी.जी. के खाता संख्या 79/74 में प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह हि0 1/8 व महेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह हि0 1/8 जाति रामगढ़िया साकिन 26 एस. टी.जी. खातेदार दर्ज रिकॉर्ड में महेन्द्र का नाम मिठूसिंह किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (चाही/नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिससें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा